भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकितप्रश्न सं. †1488
दिनांक09.12.2025 को उत्तरार्थ

ग्रामसभा की वर्चुअल बैठकें

†1488 डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः
श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में ग्राम सभा की वर्चुअल बैठकें आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ग्राम सभा की बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु के वेल्लोर निगम के 25 नगर निगमों, 145 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों को वर्ष-वार कुल कितनी निधि आवंटित की गई?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। तदनुसार, पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। इस प्रकार, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने तथा ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय के पास देश में वर्चुअल ग्राम सभा बैठकें आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस मंत्रालय ने ग्राम सभा बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की है।

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य में, वेल्लोर सहित, शहरी स्थानीय निकायों के लिए विगत चार वर्षों के दौरान, वर्ष-वार आवंटन का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया है:

(करोड़ रु. में)

	मिलियन-प्लस शहर- अनुदान	गैर-मिलियन-प्लस शहर-टाइड अनुदान	गैर-मिलियन-प्लस शहर-अनटाइड अनुदान	कुल
वित्तीयवर्ष	**आवंटन**	**आवंटन**	**आवंटन**	**आवंटन**
2021-22	303	535.8	357.2	1196
2022-23	313	555.0	370.0	1238
2023-24	331	586.8	391.2	1309
2024-25	350	621.6	414.4	1386

****